

प्रेस विज्ञापित
थाना-मुबारकपुर

39 शीशी नाजायज शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.10.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अबैध शराब की बरामदगी व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना के अधार पर अभियुक्त सोहित चमार पुत्र स्व. विश्वनाथ चमार निवासी बलुआ थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़ को गजहडा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त से पास से बोरी में 39 शीशी नाजायज शराब बरामद किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.-224/2020 धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सोहित चमार पुत्र स्व. विश्वनाथ चमार निवासी बलुआ थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़
बरामदगी -

एक बोरी में 39 शीशी नाजायज शराब बरामद

पंजीकृत अभियोग -

मु.अ.सं.224/2020 धारा- 60 आबकारी अधिनियम थाना मुबारकपुर ,आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़
2. हे0का0 श्रीप्रकाश यादव थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़
3. का0 दीपक यादव थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़
4. का0 धर्मेन्द्र यादव थाना मुबारकपुर आजमगढ़

थाना- गम्भीरपुर

मारपीट करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार

वादी मुकदमा श्री मुश्ताक अहमद पुत्र मकबुल अहमद सा0 मगराँवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के तहरीरी सूचना पर कि प्रार्थी के गाँव के अब्दुलवारी पुत्र करीम बकस की बकरी आए दिन खेत में चरती रहती थी प्रार्थी द्वारा अब्दुल बारी से बकरी चराने का विरोध करने पर दिनांक 31.05.2020 समय लगभग 7 बजे शाम को प्रार्थी द्वारा बकरी चराने को मना करने की बात को लेकर प्रार्थी के ही गाँव के 1. अब्दुलवारी पुत्र स्व0 करीमवकस , 2. शादाब 3. आफताब , 4. अब्दुलबाका 5. अब्दुल्ला पुत्रगण अब्दुलबारी 6. इब्राहिम पुत्र अब्दुलबारी 7. लाडील उर्फ आरिफ 8. साहेब उर्फ तारिख 9. मो0 आमीर पुत्रगण स्व0 वैस निवासीगण मगराँवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ एकराय होकर अपने 2 हाथों में लाठी, डण्डा एवं लोहे का राड से लैस होकर माँ बहन की भद्दी 2 गाली देने लगे जब प्रार्थी द्वारा मना किया तो उक्त विपक्षीगण लाठी डण्डा व राड से मारना पीटना शुरु कर दिए के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 85/20 धारा 147 , 148, 323, 504, 506, 427, 452, 326 भादवि अभियुक्तगणों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में आज दिनांक 22.10. 2020 को उ0नि0 तारकेश्वर राय मय हमराह के थाना हाजा से प्रस्थान होकर मुहम्मदपुर बाजार में पहुँचे तो जरिये मुखबीर खास सूचना मिली की

मु0अ0सं0 85/20 धारा 147 ,148,323,504,506,427,452,326 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.आफताब पुत्र अब्दुलवारी, 2.अब्दुल्ला पुत्र अब्दुलवारी, 3.तारिक अहमद उर्फ साहेब पुत्र अबुलवैश, 4.मो0 आमिर पुत्र अबुलवैश निवासीगण मगराँवा, थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ अपने घर में मौजूद है जल्दी करे तो पकड़े जा सकता है। इस सूचना पर अभियुक्तगण 1.आफताब पुत्र अब्दुलवारी, 2.अब्दुल्ला पुत्र अब्दुलवारी, 3.तारिक अहमद उर्फ साहेब पुत्र अबुलवैश, 4.मो0 आमिर पुत्र अबुलवैश निवासीगण मगराँवा, थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 85/20 धारा 147,148,323,504,506,427,452,326 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.आफताब पुत्र अब्दुलवारी, 2.अब्दुल्ला पुत्र अब्दुलवारी, 3.तारिक अहमद उर्फ साहेब पुत्र अबुलवैश, 4.मो0 आमिर पुत्र अबुलवैश निवासीगण मगराँवा, थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 तारकेश्वर राय, हे0का0 राजेश यादव, का0 नौशाद अहमद

थाना- जीयनपुर

जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.10.2020 को वादी आरक्षी शंशाक मिश्रा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी द्वारा संदीप प्रजापति को बटवारे की बात को लेकर गाली गुप्ता देते हुये जान मारने की नियत से पिस्टल से फायर कर देने व गोली पैर की जांघ में आर पार हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिए थे प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 338/2020 धारा 307/504 IPC पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 22.10.2020 को उ0नि0 मुन्ना लाल मय हमराह हे0का0 विक्रमा प्रसाद के थाना हाजा से रवाना होकर कस्बा मनिकाडीह में मौजूद थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि अभियुक्त अभिषेक राय पुत्र अरूण कुमार राय निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जो मनिकाडीह के चौराहे पर स्थित मंदिर पर खड़ा है मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त उपरोक्त को समय 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया व घटना से सम्बन्धित एक अदद पिस्टल व एक अदद कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आज दिनांक 22.10.2020 को अभियुक्त अभिषेक राय उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 339/2020 धारा 3/25 A Act का अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभिषेक राय पुत्र अरूण कुमार राय निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 339/2020 धारा 3/25 A Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 338/2020 धारा 307/504 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

घटना से सम्बन्धित एक अदद पिस्टल व एक अदद कारतूस सम्बन्धित मु0अ0सं0 338/2020 धारा 307/504 IPC

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 मुन्ना लाल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 विक्रमा प्रसाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

नोट- जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा कुल 55 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।